[2022] 2 एस. सी. आर 748

वोडाफोन आइडिया सेल्युलर लिमिटेड।

वी.

अजय कुमार अग्रवाल

(2017 की सिविल अपील संख्या 923)

16 फरवरी, 2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सूर्या कांत

और विक्रम नाथ, जे. जे.]

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885: एस. 7 बी-चाहे एस. 71885 के अधिनियम के बी ने मध्यस्थता के वैधानिक उपचार का प्रावधान करते हुए अधिकार क्षेत्र को हटा दिया

कंपनी और एक उपभोक्ता आयोजितः जबकि 1885 का अधिनियम हो सकता है तारों को विनियमित करने के लिए एक विशेष अधिनियम के रूप में माना जाता है,

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक विशेष (और बाद में) अधिनियम है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों और कल्याण की रक्षा करना है-तथ्य यह है कि

अधिनियम 1885 के तहत मध्यस्थता का उपचार वैधानिक प्रकृति का है।

उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को नहीं हटाएगा-अधिनियम

1986 और इसके उत्तराधिकारी, 2019 का अधिनियम बाद के अधिनियम हैं जिन्हें संसद द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है।

इसलिए, अधिकार क्षेत्र का निष्कासन हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

उपभोक्ता

माना जाता है जब तक कि व्यक्त शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है या ऐसा कोई परिणाम नहीं होता है

आवश्यक निहितार्थ के अनुसार एक मध्यस्थ उपचार का अस्तित्व, इसलिए, उपभोक्ता के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करेगा।

फोरम-यह उपभोक्ता के लिए मध्यस्थता के उपाय का विकल्प चुनने के लिए खुला होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए कानून में कोई मजबूरी नहीं है और यह उपभोक्ता के लिए उन उपायों का सहारा लेने के लिए खुला होगा जो हैं -

1986 के अधिनियम के तहत प्रदान किया गया, अब 2019 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

क्षेत्राधिकार-मध्यस्थता।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019: धारा 2 (42)-दूरसंचार सेवाएँ परिभाषा में 'दूरसंचार सेवाएँ' अभिव्यक्ति का सम्मिलन जो एस में निहित है। 2 (42) 2019 के अधिनियम का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि दूरसंचार सेवाओं को 1986 के अधिनियम के तहत उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र से शामिल नहीं किया गया था-इसके विपरीत, 'इन' सेवा की परिभाषा। 2 (ओ) 1986 के अधिनियम का

हर विवरण की सेवाओं को समझने के लिए पर्याप्त था

दूरसंचार सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 सहित - एस. 2 (0)

विधियों की व्याख्या।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986: एस. 2 (ओ) संसद की 'सेवा' व्याख्या में "किसी भी विवरण की सेवा जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है-परिभाषा में 'साधन और सूत्र शामिल हैं'-परिभाषा के साधन भाग में "किसी भी" विवरण की सेवा शामिल है समावेशी भाग में चित्रण के माध्यम से सेवाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि बैंकिंग, वित्त, बीमा के संबंध में सुविधाएं। परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत और अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, बोर्ड या आवास और आवास निर्माण-समावेशी भाग को इस स्पष्टीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि जो सेवाएं निर्दिष्ट की गई हैं वे संपूर्ण नहीं हैं-यह अभिव्यक्ति से स्पष्ट है "लेकिन इन तक सीमित नहीं है"-परिभाषा के अंतिम भाग में (i) किसी भी सेवा को मुफ्त में प्रदान करना; और (ii) व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत सेवाएं शामिल नहीं हैं-इस प्रकार, संसद ने बहिष्कार को केवल दो निर्दिष्ट श्रेणियों तक सीमित कर दिया है-परिभाषा का प्रारंभिक भाग हालांकि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि 'सेवा' अभिव्यक्ति को किसी भी विवरण की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा व्यापक शब्दों में दी गई है। वैधानिक भाषा की चौड़ाई उस तरीके से सामने आती है जिसमें परिभाषा दी जाती है। संसद ने "किसी भी विवरण की सेवा जो संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। परिभाषा 'साधन और सूत्र शामिल' को नियोजित करती है। परिभाषा का हिस्सा है

"किसी भी" विवरण की सेवा को शामिल करता है। समावेशी भाग में चित्रण के माध्यम से सेवाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि बैंकिंग, वित्त, बीमा, परिवहन के संबंध में सुविधाएं। प्रसंस्करण, विद्युत और अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, बोर्ड या आवास और आवास निर्माण। समावेशी भाग को इस स्पष्टीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जो सेवाएं निर्दिष्ट की गई हैं वे नहीं हैं

संपूर्ण। यह "लेकिन इन तक सीमित नहीं" अभिव्यक्ति से स्पष्ट है। परिभाषा के अंतिम भाग में (i) किसी भी सेवा को मुफ्त में प्रदान करना; और (ii) व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत सेवाएं शामिल नहीं हैं। संसद ने बहिष्करण को केवल दो निर्दिष्ट श्रेणियों तक सीमित कर दिया है। परिभाषा का प्रारंभिक भाग हालांकि यह स्पष्ट करता है कि 'सेवा' अभिव्यक्ति को किसी भी विवरण की सेवा के लिए परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक विवरण की सेवा वैधानिक के दायरे में आएगी।

प्रावधान। [पैरा 9] [756-ए-डी] [2022] 2 एस. सी. आर.

2. 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा सन्निहित है।

व्यापक रूप से। जिला मंच को उन सभी शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा सीमा से अधिक नहीं है।

निर्धारित सीमा। धारा 14 के तहत, जहां जिला मंच संतुष्ट है कि सेवाओं के बारे में शिकायत में आरोप साबित हो गए हैं, उसे निम्नलिखित के संदर्भ में उपचारात्मक आदेश पारित करने का अधिकार है - उप-धारा (1) के प्रावधान। जबकि 1885 के अधिनियम को टेलीग्राफ को विनियमित करने के लिए एक विशेष अधिनियम माना जा सकता है, 1986 का अधिनियम एक विशेष (और बाद में) अधिनियम है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों और कल्याण की रक्षा करना है।

उपस्थित

मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिनियमन से पहले की अवधि से संबंधित है, इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बाद के अधिनियम की धारा 2 (42) में 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा में विशेष रूप से दूरसंचार सेवाओं को शामिल किया गया है। [पैरा 13] [757-जी; 758-ए-सी]

3. की धारा 2 (ओं) में सेवाओं का विनिर्देशन

इसलिए पूर्ववर्ती अधिनियम का उद्देश्य उन सेवाओं की विस्तृत गणना करना नहीं था जिन्हें परिभाषा के भीतर समझा जाता है। इसके विपरीत, ऐसी भाषा को अपनाने से जो यह प्रदान करती है कि 'सेवा' अभिव्यक्ति का अर्थ किसी की भी सेवा होगा। संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया विवरण, संसद ने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया कि सभी सेवाएं परिभाषा के दायरे में आएंगी। एकमात्र अपवाद के मामले में था

((i) निःशुल्क प्रदान की जाने वाली सेवाएं; और (ii) व्यक्तिगत सेवा अनुबंध के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं। [पैरा 14] [758-डी-एफ]

4. तथ्य यह है कि अधिनियम के तहत मध्यस्थता का उपाय

1885 एक वैधानिक प्रकृति का है, उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करेगा। 1986 का अधिनियम और इसके उत्तराधिकारी, 2019 का अधिनियम बाद के अधिनियम हैं जिन्हें संसद द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। इसलिए, अधिकार क्षेत्र के निष्कासन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि व्यक्त शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है या इस तरह के परिणाम आवश्यक निहितार्थ के साथ नहीं होते हैं। [पैरा 16] [760-बी-सी]

5. एम. कृष्णन का निर्णय दो आधारों पर गलत है।

सबसे पहले, यह मान्यता देने में विफल रहा कि 1986 का अधिनियम एक सामान्य कानून नहीं है, बल्कि एक विशेष कानून है जिसे संसद वोडाफोन आइडिया सेल्युलर लिमिटेड द्वारा अधिनियमित किया गया है।

वी. अजय कुमार अग्रवाल

विशेष रूप से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। दूसरा, भले ही यह माना जाए कि 1986 का अधिनियम एक सामान्य कानून है, यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि यदि दोनों के बीच कोई विसंगति है।

कानून, बाद का कानून, भले ही सामान्य प्रकृति का हो, पहले के विशेष कानून पर हावी हो जाएगा। एम. कृष्णन के निर्णय में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि 1986 का अधिनियम उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक विशेष कानून है। महत्वपूर्ण रूप से, एम कृष्णन इस बात पर ध्यान देने में विफल रहते हैं कि

1986 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत उपलब्ध उपचार अन्य कानूनों में उपलब्ध उपचारों के अतिरिक्त हैं और अतिरिक्त उपचारों की उपलब्धता से कोई बाधा नहीं आएगी।

उपभोक्ता को 1986 के अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने से। [पारस 18 और 19] [760-जी-एच; 761-जी-एच; 762-ए]

महाप्रबंधक, दूरसंचार बनाम। एम कृष्णन एंड अदर (2009) 8 एस. सी. सी. 481: [2009] 14 एस. सी. आर. 86-सही कानून नहीं।

6. इसलिए, एक मध्यस्थ उपाय का अस्तित्व उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करेगा। इसके लिए खुला रहेगा

उपभोक्ता मध्यस्थता के उपाय का विकल्प चुन सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए कानून में कोई बाध्यता नहीं है और यह उपभोक्ता के लिए 1986 के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपायों का सहारा लेने के लिए खुला होगा, जो अब 2019 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। परिभाषा में 'दूरसंचार सेवाएँ' अभिव्यक्ति का सम्मिलन जो निहित है

2019 के अधिनियम की धारा 2 (42) में यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि दूरसंचार सेवाओं को 1986 के अधिनियम के तहत उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था। इसके विपरीत, 1986 के अधिनियम की धारा 2 (ओ) में 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा हर विवरण की सेवाओं को समझने के लिए पर्याप्त व्यापक थी।

दूरसंचार सेवाओं सहित। [पैरा 20] [762-एफ-जी; 763-ए]

अजय कुमार बनर्जी बनाम। भारत संघ (1984) 3 एससीसी 127: [1984] 3 एससीआर 252; आईआरईओ ग्रेस रियलटेक (पी) लिमिटेड बनाम। अभिषेक खन्ना 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 277-आश्रित

पर।

भारती हेक्साकॉम लिमिटेड बनाम कोमल प्रकाश विविध

पुनरीक्षण याचिका में आवेदन संख्या 204/2014

आवेदन संख्या 12; एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिंह (2019) 12 एससीसी 751: [2018] 14 एस. सी. आर. 791; इम्पेरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम अनिल पटनी (2020) 10 एस. सी. सी. 783 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 14 एससीआर 86

पै
रा 3

संदर्भित किया गया है

[2018] 14 एससीआर 791

संदर्भित किया गया है

पै
रा 15

[2009] 14 एससीआर 86

सही कानून नहीं

पा
रस 18,19

[1984] 3 एससीआर 252

उस पर भरोसा करें

पै
रा 18

(2020) 10 एस. सी. सी. 783

संदर्भित किया गया है

पै
रा 19

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 923

2017 .

राष्ट्रीय संविधान के 26.05.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 1430 में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली।

के साथ

सिविल अपील सं। 1389 2022 का और 2016 का 4274। पंकज शर्मा, राजीव कुमार दुबे, आशिवन मिश्रा,

कमलेंद्र मिश्रा, आदित्य नारायण, श्रीमती सोनाली जेटली बख्शी, जयेश बख्शी, सुश्री मनमिलन सिद्धू, पी. वी. योगेश्वरन, कुसुम चौधरी, सुश्री विमला सिन्हा, गुरमीत सिंह मक्कर, देवाशीष भरुखा, अभिषेक सरकार, बी. कृष्ण प्रसाद, पुनीत तनेजा, सुश्री लक्ष्मी, मनमोहन सिंह, अर्णव नारायण, सुश्री आस्था त्यागी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. यह दीवानी अपील 1 26 तारीख के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2 का मई 2016, जिसे अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में प्रस्तुत किया गया था। मुद्दा यह है कि क्या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 7 बी दूरसंचार कंपनी और उपभोक्ता के बीच विवाद का फैसला करने में उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को हटा देती है।

1 2017 की सिविल अपील संख्या 923 2 "एन. सी. डी. आर. सी". वोडाफोन आइडिया सेल्युलर लिमिटेड।

वी. अजय कुमार अग्रवाल

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इंटरनेट सुविधाओं सहित कनेक्शन का उपयोग। यह आरोप लगाया गया था कि एक प्रचलित प्रथा के रूप में, जब बिल क्रेडिट सीमा के 80 प्रतिशत तक पहुंच जाता है तो मोबाइल सेवा प्रदाता को ग्राहक को सूचित करना चाहिए। शिकायत में उन कदमों का पाठ है जो प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी के प्रतिनिधियों से संपर्क करके उठाए गए थे, जिसके बाद उसने 22 दिसंबर 2013 को शिकायत दर्ज की। प्रतिवादी ने 25 मई 2014 को उपभोक्ता शिकायत दर्ज की जिसमें ब्याज के साथ 22,000 रुपये की राशि के मुआवजे की मांग की गई थी। राहत।

3. अपीलार्थी ने महाप्रबंधक, दूरसंचार बनाम मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आधार पर शिकायत की स्थिरता पर आपत्ति जताई। एम. कृष्णन और एक अन्य। द.

जिला मंच ने आवेदन को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि अपीलार्थी द्वारा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे सहित सभी मुद्दों पर एक लिखित बयान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि अपीलार्थी, एक निजी सेवा प्रदाता, धारा के प्रयोजनों के लिए 'टेलीग्राफ प्राधिकरण' नहीं है।

3 " जिला फोरम "4 (2009) 8 एस. सी. सी. 481 [2022] 2 एस. सी. आर.

7 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 18855 का बी; हालाँकि, अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को लिखित बयान दाखिल किए बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता था। इस संदर्भ में यह देखा गयाः

" 17. [.....] इन परिस्थितियों में भी प्रारंभिक मुद्दे यानी अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने के बजाय, यह उचित और कानूनी है कि पूरी शिकायत की सुनवाई गुण-दोष और निर्णय के आधार पर की जाए। इसमें अधिकार क्षेत्र भी लिया जाता है।

जिला मंच के आदेश पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुजरात के समक्ष सवाल उठाया गया था। एससीडीआरसी ने आयोजित किया

30 नवंबर 2015 के एक आदेश द्वारा कि अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में उठाया जा सकता है। गुण-दोष के आधार पर, एस. सी. डी. आर. सी. ने 24 जनवरी 2014 के दूरसंचार विभाग के पत्र पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि 1885 के अधिनियम की धारा 7 बी पर एम. कृष्णन (ऊपर) का निर्णय किसी निजी सेवा प्रदाता पर लागू नहीं होगा।

क्योंकि यह 'टेलीग्राफ प्राधिकरण' नहीं है। इस उद्देश्य के लिए, भारती हेक्साकॉम लिमिटेड पर भी निर्भरता रखी गई थी। कोमल प्रकाश '। राज्य मंच ने कहा किः

[...] उपरोक्त परिस्थितियों में संप्रदाय के तहत विवाद के लिए। 7 (ख) निजी सेवा प्रदाता और उपभोक्ता के बीच प्राधिकरण निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि, निजी सेवा प्रदाता के लिए उपरोक्त अधिनियम में टेलीग्राफ प्राधिकरण के संबंध में कोई व्यवस्था सेवा प्रदाता को नहीं दी गई है, इसलिए, लर्नड कंज्यूमर फोरम के पास निजी सेवा प्रदाता के बीच विवाद को सुनने, निर्णय लेने और निपटाने का अधिकार क्षेत्र है।

और उपभोक्ता "।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आदित्य नारायण प्रस्तुत करते हैं कि 1885 के अधिनियम की धारा 7 बी मध्यस्थता का एक वैधानिक उपाय प्रदान करती है। वकील ने प्रस्तुत किया कि वैधानिक उपचार को देखते हुए, जो एक विशेष क़ानून के तहत एक उपाय है, उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया जाता है। इस संदर्भ में, प्रावधानों पर भरोसा करने के अलावा 5 " 1885 का अधिनियम "6" एससीडीआरसी "या" राज्य मंच "7 संशोधन याचिका आवेदन संख्या 12 वोडाफोन आइडिया सेल्युलर लिमिटेड में विविध आवेदन संख्या 204/2014।

वी. अजय कुमार अग्रवाल

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 7 बी के वकील ने धारा 3 (2) में 'दूरसंचार अधिकारी' और धारा 3 (6) में 'टेलीग्राफ प्राधिकरण' की परिभाषाओं को अपनाया।

5. निर्धारण के लिए जो प्रमुख मुद्दा उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या 1885 के अधिनियम की धारा 7 बी के तहत किसी उपाय का अस्तित्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 19868 के तहत उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है।

6. 1986 के अधिनियम की धारा 11 ने जिला मंच के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट किया। धारा 11 (1) निम्नलिखित रूप में प्रदान की गई हैः

" 11. जिला मंच का अधिकार क्षेत्र। - (1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, जिला मंच को उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा जहां माल या सेवाओं का मूल्य और मुआवजे, यदि कोई हो, का दावा रुपये से अधिक नहीं है।

बीस लाख "।

7. धारा 11 (1) के संदर्भ में, जिला मंच को उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था जहां माल का मूल्य था। या सेवाओं और मुआवजे, यदि कोई हो, का दावा एक निर्धारित राशि से अधिक नहीं था। इस राशि को क्रमिक रूप से संशोधित कर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये और अंततः 20 लाख रुपये कर दिया गया। 'सेवा' अभिव्यक्ति को धारा 2 (ओ) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः

" 2 (0) " "सेवा" से किसी भी विवरण की सेवा अभिप्रेत है जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और जिसमें बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, आवास या आवास या दोनों के संबंध में सुविधाओं का प्रावधान शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, आवास निर्माण, मनोरंजन,

मनोरंजन या समाचार या अन्य जानकारी का शुद्धिकरण, लेकिन इसमें किसी भी सेवा को मुफ्त में या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत प्रदान करना शामिल नहीं है। 8. अभिव्यक्ति 'कमी' को धारा 2 (जी) में परिभाषित किया गया हैः

" 2 (छ) "कमी" से प्रदर्शन की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में कोई गलती, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता अभिप्रेत है जिसे किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत बनाए रखने की आवश्यकता है या जिसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित करने के लिए किया गया है।

किसी अनुबंध के अनुसरण में या अन्यथा किसी सेवा के संबंध में।

9. 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा व्यापक शब्दों में दी गई है। वैधानिक भाषा की चौड़ाई में तरीके से उभरता है

जिसकी परिभाषा दी गई है। संसद ने "किसी भी विवरण की सेवा जो संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। परिभाषा 'साधन और सूत्र शामिल' को नियोजित करती है। परिभाषा के साधन भाग में "किसी भी" विवरण की सेवा शामिल है। समावेशी भाग में बैंकिंग, वित्त, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, आपूर्ति के संबंध में सुविधाओं जैसे चित्रण के माध्यम से सेवाओं को शामिल किया गया है।

व्यक्तिगत सेवा। संसद ने बहिष्करण को केवल दो निर्दिष्ट श्रेणियों तक सीमित कर दिया है। परिभाषा का प्रारंभिक भाग हालांकि इसे बनाता है यह बहुत स्पष्ट है कि 'सेवा' अभिव्यक्ति का अर्थ किसी भी विवरण की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक विवरण की सेवा वैधानिक प्रावधान के दायरे में आएगी।

0. 1986 का अधिनियम विधायी प्रयासों में एक मील का पत्थर था।

उपभोक्ताओं के कल्याण और हितों की रक्षा करना। अधिनियम के लंबे शीर्षक में निर्दिष्ट किया गया है कि यह "उपभोक्ताओं के हित की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए" एक अधिनियम है। संसद में विधेयक को पेश करने के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित शब्दों में उद्देश्यों को निर्दिष्ट किया गया हैः

" 2. यह अन्य बातों के साथ-साथ लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना चाहता है। उपभोक्ता जैसे -

अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ता की रक्षा के लिए वस्तुओं की शुद्धता, मानक और मूल्य; (ग) जहां भी संभव हो, विविधता तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार

प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं का उत्पादन;

(घ) सुनवाई का अधिकार और आश्वस्त किया जाना कि उचित मंचों पर उपभोक्ताओं के हितों पर उचित विचार किया जाएगा।

(ई) अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ निवारण की मांग करने का अधिकार या

उपभोक्ताओं का अनैतिक शोषण; और
(च) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। वोडाफोन आइडिया सेल्युलर लिमिटेड।

वी. अजय कुमार अग्रवाल

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

11. 1885 के अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को निहित करती है।

तारों की स्थापना, रखरखाव और काम करने के विशेष विशेषाधिकार के साथ। अभिव्यक्ति 'टेलीग्राफ' की परिभाषा खंड में पाई जाती है।

3 (1 एए)। धारा 4 (1) के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी हिस्से में टेलीग्राफ स्थापित करने, बनाए रखने या काम करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार है। धारा 7 बी में विवादों के मध्यस्थता का प्रावधान है और यह निम्नलिखित शर्तों में है:

" 7 बी. विवादों का मध्यस्थता। (1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित किए जाने के अलावा, यदि किसी टेलीग्राफ लाइन, उपकरण या उपकरण से संबंधित कोई विवाद टेलीग्राफ प्राधिकरण और उस व्यक्ति के बीच उत्पन्न होता है जिसके लाभ के लिए लाइन, उपकरण या उपकरण है, या प्रदान किया गया है, तो विवाद का निर्धारण मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा और ऐसे निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा या तो विशेष रूप से नियुक्त मध्यस्थ को भेजा जाएगा।

उस विवाद के निर्धारण के लिए या आम तौर पर इस धारा के तहत विवादों का निर्धारण।

(2) उप-धारा (1) के तहत नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय विवाद के पक्षों के बीच निर्णायक होगा और

किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी।

12. धारा 7 बी के तहत, टेलीग्राफ प्राधिकरण और उस व्यक्ति के बीच टेलीग्राफ लाइन, उपकरण या उपकरण से संबंधित कोई भी विवाद, जिसके लाभ के लिए लाइन, उपकरण या उपकरण प्रदान किया गया है या प्रदान किया गया है, मध्यस्थता द्वारा निर्धारित किया जाना है। इस तरह के विवाद को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाना चाहिए या तो विशेष रूप से उस विवाद के निर्धारण के लिए या आम तौर पर धारा के तहत विवादों के निर्धारण के लिए। अभिव्यक्ति 'टेलीग्राफ प्राधिकरण' को धारा 3 (6) 9 में परिभाषित किया गया है।

13. अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ इस आधार पर आगे बढ़ती हैं कि एक निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में, उसके साथ अभिदाता का कोई भी विवाद

1885 के अधिनियम की धारा 7 बी के संदर्भ में मध्यस्थता के उपचार द्वारा शामिल। भले ही ऐसा ही हो, लेकिन वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या यह उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को हटा देगा। 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, व्यापक शब्दों में सन्निहित है। जिला मंच को सभी का मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है

9 1885 के अधिनियम की धारा 3 (6) 'टेलीग्राफ प्राधिकरण' को इस प्रकार परिभाषित करती है: टेलीग्राफ प्राधिकरण "का अर्थ है 1 [डाक और टेलीग्राफ] का महानिदेशक, और इसमें इस अधिनियम के तहत

टेलीग्राफ प्राधिकरण के सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए उसके द्वारा सशक्त कोई भी अधिकारी शामिल है"; [2022] 2 एस. सी. आर.

शिकायतें जहां माल या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। धारा 14 के तहत, जहां जिला मंच संतुष्ट है कि सेवाओं के बारे में शिकायत में आरोप साबित हो गए हैं, उसे उप-धारा (1) के प्रावधानों के संदर्भ में उपचारात्मक आदेश पारित करने का अधिकार है। जबकि 1885 के अधिनियम को तारों को विनियमित करने के लिए एक विशेष अधिनियम के रूप में माना जा सकता है, 1986 का अधिनियम एक विशेष (और बाद में) अधिनियम है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों और कल्याण की रक्षा करना है। हालांकि वर्तमान मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने से पहले की अवधि से संबंधित है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पहलू है

मामला यह है कि बाद के अधिनियम की धारा 2 (42) में 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा में विशेष रूप से दूरसंचार सेवाओं को शामिल किया गया है।

14. निवेदन जिसे अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया था

यह था कि 2019 के अधिनियम में टेलीग्राफ सेवाओं का विशिष्ट समावेश एक संकेतक है कि यह केवल नए कानून के परिणामस्वरूप था कि दूरसंचार सेवाओं को उपभोक्ता के अधिकार क्षेत्र में लाया गया था के लिए। इस प्रस्तुति को इस साधारण कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि 1986 के पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 2 (ओं) में सेवाओं का विनिर्देशन उदाहरणात्मक था। यह 'शामिल है लेकिन सीमित नहीं' अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट है। इसलिए पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 2 (ओं) में सेवाओं के विनिर्देशन का उद्देश्य उन सेवाओं की विस्तृत गणना करना नहीं था जिन्हें परिभाषा के भीतर समझा जाता है। इसके विपरीत, ऐसी भाषा को अपनाने से जो यह प्रदान करती है कि अभिव्यक्ति

' 'सेवा' का अर्थ होगा किसी भी विवरण की सेवा जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, संसद ने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया कि सभी सेवाएं परिभाषा के दायरे में आएंगी। एकमात्र अपवाद (i) निःशुल्क प्रदान की जाने वाली सेवाओं और (ii) व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में था।

15. एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम आफताब सिंह 1 2, इस न्यायालय ने

" "सेवा" से किसी भी विवरण की सेवा अभिप्रेत है जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसमें बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, दूरसंचार, आवास या आवास या दोनों, आवास निर्माण, मनोरंजन, मनोरंजन या समाचार या अन्य जानकारी के संबंध में सुविधाओं का प्रावधान शामिल है, लेकिन इसमें किसी भी सेवा को मुफ्त में या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत प्रदान करना शामिल नहीं है।

12 (2019) 12 एस. सी. सी. 751 डैफोन आइडिया सेल्युलर लिमिटेड। वी. अजय कुमार अग्रवाल

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वस्तुओं या सेवाओं की कमी की शिकायत करना। 1986 के अधिनियम की धारा 313 पर न्यायालय, जो यह प्रावधान करता है कि प्रावधान अधिनियम किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं और उनका अपमान नहीं करते हैं।

अधिनियमन। इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं:

" 19. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रावधान इसके अतिरिक्त होंगे न कि अवमूल्यन में।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध।

अधिनियम के उद्देश्य और साथ ही धारा 3 को ध्यान में रखते हुए,

थिरुमुरुगन कूप में यह न्यायालय। कृषि ऋण सोसायटी बनाम।

एम. ललिता [थिरुमुरुगन कूप। कृषि ऋण सोसायटी बनाम।

एम. ललिता, (2004) 1 एस. सी. सी. 305] ने निम्नलिखित को पैरा में निर्धारित किया:

11 और 12: (एस. सी. सी पी. 312)

" 11. उद्देश्यों और कारणों के कथन से और 1986 के अधिनियम की योजना, यह स्पष्ट है कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के हित की बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है और उस उद्देश्य के लिए बेहतर निवारण, तंत्र प्रदान करना है जिसके माध्यम से सस्ता, आसान, त्वरित और प्रभावी निवारण उपलब्ध कराया जाता है।

उपभोक्ता। अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अर्ध न्यायिक मंचों की स्थापना की जाती है, जिनमें व्यापक शक्तियां निहित होती हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए इन अर्ध-न्यायिक मंचों को एक विशिष्ट प्रकृति की राहत देने और जहां भी उचित हो, उपभोक्ताओं को मुआवजा देने और उनके आदेशों का पालन न करने के लिए दंड लगाने का अधिकार है।

12. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे।

बल में समय। अधिनियम की योजना और उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर तरीके से रक्षा करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रावधानों की व्याख्या वर्तमान मामले के संदर्भ में व्यापक, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए ताकि अतिरिक्त/विस्तारित को अर्थ दिया जा सके।

3-किसी अन्य कानून के अवमूल्यन में अधिनियम नहीं-"इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अवमूल्यन में नहीं होंगे।" [2022] 2 एस. सी. आर.

अधिकारिता, विशेष रूप से जब धारा 3 अन्य अधिनियमों के तहत प्रदान किए गए अन्य उपायों के अलावा अधिनियम के तहत उपचार प्रदान करना चाहती है, जब तक कि कोई स्पष्ट प्रतिबंध न हो।

16. वर्तमान मामले में एकमात्र अंतर यह है कि जहां 1885 के अधिनियम की धारा 7 बी लागू होती है, वहां मध्यस्थता का एक वैधानिक उपाय है:

प्रदान किया गया। यह तथ्य कि अधिनियम 1885 के तहत मध्यस्थता का उपाय वैधानिक प्रकृति का है, उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करेगा। 1986 का अधिनियम और इसके उत्तराधिकारी, 2019 का अधिनियम बाद के अधिनियम हैं जिन्हें संसद द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। इसलिए, अधिकार क्षेत्र के निष्कासन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि व्यक्त शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है या इस तरह का परिणाम निम्नलिखित है - आवश्यक प्रभाव।

17. एम. कृष्णन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय से उत्पन्न हुआ। विवाद, उस मामले में, बिल का भुगतान न करने के लिए टेलीफोन कनेक्शन के विच्छेद से उत्पन्न हुआ। जिला फोरम ने शिकायत की अनुमति दी। रिट याचिका खारिज कर दी गई। कार्यवाही के परिणामस्वरूप केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को एक संदर्भ दिया गया, जिसने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ रिट अपील को खारिज कर दिया। इससे पहले

न्यायालय, उपभोक्ता मंच का अधिकार क्षेत्र मुद्दे में था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 5.हमारी राय में जब टेलीफोन बिलों के संबंध में विवादों के संबंध में टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 7-बी में एक विशेष उपाय प्रदान किया गया है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपाय निहितार्थ से वर्जित है।

न्यायालय ने टेलीग्राफ नियमों के नियम 413 पर भी भरोसा किया, जिसके अनुसार टेलीफोन से संबंधित सभी सेवाएं टेलीग्राफ के अधीन हैं।

नियम। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विशेष कानून सामान्य कानून पर हावी होगा और निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने में सही नहीं था।

18. हम एम. कृष्णन (ऊपर) में उपरोक्त निर्णय में अपनाए गए विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। फैसला गलत है।

दो आधारों पर। पहला, यह स्वीकार करने में विफल रहा कि 1986 का अधिनियम एक सामान्य कानून नहीं है, बल्कि एक विशेष कानून है जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है

विशेष रूप से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। दूसरा, भले ही यह माना जाए कि 1986 का अधिनियम एक सामान्य कानून है, यह कानून की एक तय स्थिति है कि यदि दो विधानों के बीच कोई विसंगति है, तो बाद में वोडाफोन आइडिया सेल्युलर लिमिटेड।

वी. अजय कुमार अग्रवाल

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कानून, भले ही प्रकृति में सामान्य हो, पहले के विशेष कानून को ओवरराइड करेगा। अजय कुमार बनर्जी बनाम। भारत संघ 14 1 4, की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 38 ..... जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है कि यदि योजना को वैध माना जाता है, तो सवाल यह है कि सामान्य कानून क्या है और विशेष कानून क्या है और संघर्ष की स्थिति में कौन सा कानून प्रबल होता और इसके लिए जनरलिया स्पेशलाइबस गैर-अपमानजनक सिद्धांत को लागू करना आवश्यक होता। दो कानूनों के बीच टकराव के मामले में पालन किया जाने वाला सामान्य नियम यह है कि बाद वाला पहले वाले को निरस्त कर देता है। दूसरे शब्दों में, एक पूर्व विशेष कानून बाद के सामान्य कानून को जन्म देगा, यदि निम्नलिखित दोनों में से कोई एक

शर्तों को पूरा किया जाता हैः

" ((i) दोनों एक दूसरे के साथ असंगत हैं।

((ii) बाद में पहले वाले का कुछ स्पष्ट संदर्भ है।

अधिनियम "।

यदि इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी हो जाती है, तो बाद का कानून,

हालांकि सामान्य, प्रबल होगा।

39. पाठ और निर्णयों से, चार परीक्षण अनुमानित हैं और ये हैंः (i) विधायिका को बाद के विधान के माध्यम से पहले से ही घोषित कानून में बदलाव करने का निस्संदेह अधिकार है, (ii) एक विशेष कानून को बाद के सामान्य कानून द्वारा एक स्पष्ट प्रावधानों द्वारा बदला जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है, (iii) बाद का सामान्य कानून एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से एक स्पष्ट प्रावधान के रूप में एक स्पष्ट प्रावधान के रूप में एक स्पष्ट प्रावधान के रूप में

एडन। , पीपी। 196-198 . "

19. किसी भी स्थिति में, एम. कृष्णन (ऊपर) में निर्णय यह भी ध्यान देने में विफल रहता है कि 1986 का अधिनियम एक विशेष कानून है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। उपभोक्ता। महत्वपूर्ण रूप से, एम. कृष्णन (उपरोक्त) इस बात पर ध्यान देने में विफल रहते हैं कि 1986 के अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि अधिनियम के तहत उपलब्ध उपचार अन्य कानूनों में उपलब्ध उपचारों के अलावा हैं और अतिरिक्त उपचारों की उपलब्धता उपभोक्ता को दाखिल करने से नहीं रोकेगी।

1986 के अधिनियम के तहत एक शिकायत। 2019 के अधिनियम की धारा 100 1986 के अधिनियम की धारा 3 से मेल खाती है। एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1986 के अधिनियम के तहत शिकायत एक उपभोक्ता को प्रदान किए गए उपचार के अलावा एक विशेष उपाय है जो

उनके द्वारा मध्यस्थता सहित लाभ उठाया जा सकता है। इम्पेरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम अनिल पटनी 1 5 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1986 के अधिनियम के तहत उपलब्ध उपचार अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध उपचारों के अतिरिक्त हैं, जिसमें रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 जैसे विशेष कानून शामिल हैं। इस न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में कानून की तय स्थिति को दोहरायाः

" 23. इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध उपचार किसी भी विशेष क़ानून के तहत उपलब्ध कराए गए उपचारों सहित अन्य उपचारों के अलावा अतिरिक्त उपचार हैं और सी. पी. अधिनियम के तहत शिकायत पर विचार करने में वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता कोई बाधा नहीं है।

20. उपरोक्त स्थिति को आई. आर. ई. ओ. ग्रेस रियलटेक (पी) लिमिटेड बनाम में दोहराया गया था। अभिषेक खन्ना 1 7 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, जिसमें हम में से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) एक हिस्सा थे। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने पीठ की ओर से बोलते हुए चुनाव के सिद्धांत का आह्वान किया, जिसमें कहा गया है कि जब एक ही राहत के लिए दो उपाय उपलब्ध होते हैं, तो जिस पक्ष के पास ऐसे उपाय उपलब्ध होते हैं, वह किसी भी उपाय को चुनने का विकल्प चुन सकता है, जब तक कि दोनों उपायों का दायरा और दायरा अनिवार्य रूप से अलग न हो। ये टिप्पणियां एक अपार्टमेंट के आबंटित व्यक्ति के संदर्भ में की गई थीं, जिनके पास 1986 के अधिनियम या रेरा के तहत कार्यवाही शुरू करने का विकल्प था। वर्तमान मामले में, एक मध्यस्थ उपचार का अस्तित्व, इसलिए, उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करेगा। यह एक उपभोक्ता के लिए विकल्प चुनने के लिए खुला होगा

मध्यस्थता का उपाय, लेकिन ऐसा करने के लिए कानून में कोई बाध्यता नहीं है और यह उपभोक्ता के लिए 1986 के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपायों का सहारा लेने के लिए खुला होगा, जो अब 2019 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। 2019 के अधिनियम की धारा 2 (42) में निहित परिभाषा में 'दूरसंचार सेवाएँ' शब्द को शामिल करने का अर्थ, जिन कारणों से हमने संकेत दिया है, दूरसंचार सेवाओं से नहीं लगाया जा सकता है। 1986 के अधिनियम के तहत उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था। इसके विपरीत, 'सेवा' अभिव्यक्ति की परिभाषा

15 (2020) 10 एस. सी. सी. 783

16 " रेरा "

17 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 277 वोडाफोन आइडिया सेल्युलर लिमिटेड। वी. अजय कुमार अग्रवाल

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

1986 के अधिनियम की धारा 2 (ओ) को समझने के लिए काफी व्यापक था। दूरसंचार सेवाओं सहित प्रत्येक विवरण की सेवाएँ।

21. उपरोक्त कारणों से, हम एन. सी. डी. आर. सी. के फैसले की पुष्टि करते हैं जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिला मंच के पास अधिकार क्षेत्र है। शिकायत पर विचार करना और कोशिश करना।

22. तदनुसार अपील खारिज कर दी जाएगी।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

2022 की सिविल अपील संख्या 1389 [एसएलपी (सी) संख्या 9071/2016 से उत्पन्न] और 2016 की सिविल अपील संख्या 4274

1. छुट्टी दे दी गई।

2. आइडिया सेल्युलर लिमिटेड बनाम अजय कुमार अग्रवाल [2017 की सिविल अपील संख्या 923] मामले में आज दिए गए फैसले को देखते हुए, अपीलें 2013 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 531 और 2013 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 95 में एन. सी. डी. आर. सी. के दिनांक 30 अप्रैल 2014 के विवादित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाएगा। 2010 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 238 और 2007 की शिकायत संख्या 1457 क्रमशः उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, कासरगोड और उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, दिल्ली को बहाल कर दी जाएगी।

3. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों

का निपटारा किया गया।